गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छग)

विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.03.2017 का **संशोधित** कार्यविवरण

विद्या परिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.03.2017 को अपराह्न 04–00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

01	प्रो. अंजिला गुप्ता , कुलपति	अध्यक्षा
02	प्रो. ए. एस. रणदिवे	सदस्य
03	प्रो. अनुपमा सक्सेना	सदस्य
04	प्रो. पी. के. बाजपेयी	सदस्य
05	प्रो. मनीष श्रीवास्तव	सदस्य
06	प्रो. व्ही. डी. रंगारी	सदस्य
07	प्रो. शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
08	डॉ रेनू भट्ट	सदस्य
09	डॉ एम. सी. राव	सदस्य
10	डॉ राकेश पाण्डेय	सदस्य
11	डॉ बी. एन. तिवारी	सचिव

विषय क्रमांक 01– अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के द्वारा एम.टेक एव बी.टेक की सेमेस्टर परीक्षाओं के ग्रेडिंग सिस्टम संबंधी प्रस्तावित अध्यादेश संशोधन पर विचार ।

स्थायी समिति ने यह अनुशंसा की कि बी.टेक. अध्यादेश (CBCS) सत्र 2015–16 से लागू है में प्रस्तावित ग्रेडिंग सिस्टम एवं अंक रूपांतरण पर विचार किया गया । विचारोपरांत UGC द्वारा जारी ग्रेडिग सिस्टम एवं अंक वितरण पर आधारित संशोधन मान्य किया गया। समिति ने यह भी संज्ञान में लिया कि CBCS सत्र 2015–16 में लागू होने के उपरांत प्रथम एवं द्वितीय बैच की अंतिम परीक्षाऐं होना शेष हैं अतः उक्तानुसार UGC पर आधारित ग्रेडिग सिस्टम के संशोधन के फलस्वरूप परीक्षाओं के परिणाम में आवश्यक संशोधन अनुसार अंक वितरण को मान्य करते हुए लागू किया जाय । इस हेतु आवश्यक संशोधन करने हेतु परीक्षा विभाग को आवश्यक सुविधाए प्रदाय की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सत्र 2017–18 से एम.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटें CCMT से वापस कर लिया जाय । इस हेतु GATE उत्तीर्ण छात्रों के प्रवेश हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन कर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय स्तर पर पूर्ण की जाय, इसके उपरांत एम.टेक. की रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु NON GATE उत्तीर्ण छात्रों हेतु VET के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा उपरांत प्रवेश दिया जाये ।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि बी.टेक. की प्रवेश परीक्षा पूर्व वर्षों की भांति CSAB एवं JoSAA के द्वारा होगी। रिक्त सीटें जो कि CSAB एवं JoSAA के द्वारा नहीं भरी जा सकेंगीं, पर प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन कराकर काउन्सलिंग के माध्यम से JEE Mains के अंकों की प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाये।

विषय क्रमांक 02– एकीकृत पांच वर्षीया पाठ्यक्रम (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान) को बंद करने के प्रस्ताव पर विचार ।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में 05 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम को आगामी सत्र से बंद किया जाये एवं वर्तमान में बीए आनर्स (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान) में प्रवेशित छात्रों को उनके द्वारा लिये गये वैकल्पिक विषयों में उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर समायोजित कर दिया जाय।

विषय क्रमांक 03– M. Pharm. में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा VET के आयोजन पर विचार ।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एम.फार्मा. की सत्र 2017–18 में प्रवेश हेतु VET के माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु संकायाध्यक्ष प्राकृतिक संसाधन से इस हेतु प्रस्ताव मंगाकर परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

यह भी कि एम.फार्मा. में GPAT के माध्यम से जो अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, उन्हें इस प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि संकायाध्यक्ष वेट के माध्यम से नान GPAT सीटों की संख्या प्रस्तावित कर सक्षम अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यह भी कि जीपेट के माध्यम से भरी जाने वाली सीटें यदि रिक्त रह जाती है तो उन्हें भी वेट की प्रावीण्यता सूची के आधार पर भरा जा सकेगा, किन्तु आरक्षण रोस्टर भारत सरकार के नियमानुसार सभी सीटों पर एक साथ लगेगा।

विषय क्रमांक 04– अकादमिक कैलेंडर 2017–18 एवं नवीन शुल्क संरचना पर विचार ।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं के द्वारा अनुशंसित अकादमिक कैलेण्डर 2017–18 को अनुमोदित किया गया किन्तु नवीन शुल्क संरचना पर पुनर्विचार करने हेतु विभिन्न संकायों के अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 17.03.2017 को आहूत कर उन्हें इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक 05– श्री शान्तम अवस्थी के पत्र दिनांक 16-03-2017 पर विचार ।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश की अवहेलना करते हुए छात्र द्वारा वांछित शपथ पत्र प्रस्तुत ना करने के कारण छात्र को BA–LLB की सम्बंधित आगामी **(ATKT)** परीक्षाओं में बैठने पर अस्थायी रूप से रोक लगायी जाये ।

समिति के द्वारा यह अंकित किया गया कि चूंकि BA–LLB पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा लिये गए प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया की जाँच की जा रही है, अतः उक्त जाँच का प्रतिवेदन आने के उपरांत यथोचित निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा लिया जायेगा । नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया होने की स्थिति में, जाँच प्रतिवेदन के प्रकाश में, पात्रता के आधार पर छात्र को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति प्रदान की जायेगी । आदि आवश्यक हुआ तो **ATKT** की विशेष परीक्षा का आयोजन भी किया जायेगा ।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव

कुलपति / अध्यक्षा